

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ खंडपीठ****दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 2421/2026**

अभिषेक उर्फ अभिषेक कुमार और 3 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री शिव कुमार यादव, श्री माता प्रसाद चतुर्वेदी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

1. शिकायतकर्ता/विपक्षी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश यादव द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार यादव, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। राज्य की ओर से, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश यादव को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदकों ने विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)/ फास्ट ट्रैक कोर्ट/सी.ए.डब्ल्यू., उन्नाव के समक्ष लंबित वाद संख्या 1273/2024 की संपूर्ण कार्यवाही, जो मु0 अपराध संख्या 275/2020, धारा 323, 376, 342, 498-A, 504, 506 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, पुलिस थाना अचलगंज, जिला उन्नाव से उत्पन्न है, आक्षेपित समन आदेश दिनांक 05.01.2024 तथा आक्षेपित आरोप पत्र संख्या 23/2021, दिनांक 03.02.2021, जो धारा 323, 342, 498-A, 504, 506 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, पुलिस थाना अचलगंज, जिला उन्नाव के अंतर्गत याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 के विरुद्ध दाखिल किया गया है और याचिकाकर्ता संख्या-4 के विरुद्ध धारा 323, 342, 376, 498-A, 504, 506 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दाखिल आरोप पत्र संख्या 23-A/2021 दिनांक 22.09.2022 को, दिनांक 04.02.2026 के समझौते के आधार पर अभिखंडित करने की प्रार्थना की है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि कुछ भ्रान्ति के कारण, आवेदकों के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और तत्पश्चात पक्षकारों ने एक साथ बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है जिसे दिनांक 04.02.2026 को लेखबद्ध किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि तत्पश्चात आवेदकों ने विचारण न्यायालय को समझौता विलेख सत्यापित करने के निर्देश हेतु वर्तमान आवेदन दाखिल किया और दिनांक 16.02.2026 के आदेश के

अनुपालन में, सत्यापन किया गया और दिनांक 24.02.2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। उन्होंने निवेदन किया कि वर्तमान वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और इस प्रकार उपरोक्त वाद से उत्पन्न वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित किया जा सकता है।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा लिया है और विपक्षी संख्या-2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को पूर्वोक्त तर्क पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए, मैंने पाया कि पक्षकारों के बीच दिनांक 04.02.2026 को समझौता हो गया है और उक्त समझौते का दिनांक 24.02.2026 को सत्यापन हो चुका है और, अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों के अनुसार, वे उपरोक्त आपराधिक वाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, चूँकि आवेदकों और विपक्षीगण ने दिनांक 04.02.2026 को समझौता कर लिया है और कोई भी शिकायत विवादित नहीं रह गई है और इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003)4 एससीसी 675; निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [2008]9 एससीसी 677]; मनोज शर्मा बनाम राज्य**

और अन्य (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; और नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 में पारित निर्णयों के आलोक में उपरोक्त आपराधिक वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही अपास्त किए जाने योग्य है।

9. तदनुसार, वाद संख्या 1273/2024 के संबंध में आपराधिक कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 275/2020, धारा 323, 376, 342, 498-A, 504, 506 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, पुलिस थाना अचलगंज, जिला उन्नाव से उत्पन्न है और विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)/फास्ट ट्रैक कोर्ट/सी.ए.डब्ल्यू., उन्नाव के समक्ष लंबित है, एतद्वारा अभिखंडित की जाती है।

10. यह समझौता इस आदेश का अंग होगा।

11. तदनुसार आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

12. पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।

23 मार्च, 2026

वी. सिन्हा

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)